THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): He has already agreed to that.

SHRI P.A. SANGMA: Yes. I have agreed that it is a debatable point. What else do you want from a Minister to surrender?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: But then there has to be some assurance from the Minister that when a case of State to State comes... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Dipankar Mukherjee, he says that he is all for decentralisation, he is not for centralisation, and as and when the situation so arises, he will consider this, as he is considering this amendment now. *(Interruptions)*

So, are you pressing your amendments?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: No. After Mr. Sangma's assurance, I am not pressing my amendments.

The amendments (Nos. 1 and 2) were, be leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): So, this is the atmosphere!

Now, I shall put clause 2 to vote.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P.A. SANGMA: Sir, I beg to move that the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER

Flooding of Gaslitand Mine of Bharat Coking Coal Limited on the 26/27th September, 1995

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, we shall take up clarifications on the statement made by Shri Jagdish Tytler, Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Coal, on the 28th of November, 1995 in the Rajya Sabha.

Some names are there but I think all those Members are not present in the House. Shri John F. Fernandes. He is not present. Shri V. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (SHRI MD. SALIM): No. I am not seeking any clarification Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla.

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA (Bihar); Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise with a heavy heart to mourn the death overnight of 77 coalminers of Bharat Coking Coal Limited, a nationalised coal sector company.

Sixty-four coalminers died in Gaslitand Mine alone due to drowning. It will be a great injustice to the departed souls to call it an accident. It is a clear case of murder on account of negligence. No lesson has been learnt from the New Kenda coalmine tragedy of last year although the matter was discussed at various Parliamentary forums. During the year 1995, up to October, there were as many as 43 fatal accidents in coalmines in the State of Bihar. There was no month in which there was no accident. The Gaslitand Mine accident is one amongst them with the heaviest casualties.

Sir, my information is that a warning about heavy rain was given. The forecast was made by the Meterorological Centre at Patna, 48 hours in advance that there will be heavy rain. The normal procedure is that before the rainy season every year, preparatory arrangements are made to check the inrush of water into the mines. My question is: What preparatory arrangement was made so far as the drowning of this mine is concerned? Was any amount spent on the strengthening of the dam through which the water rushed into the mine? I would also like to know as to how many outlets are there, the main outlets, which means winding, two-winding, three-winding engines? There are two types of outlets, one from where the production is taken out and the other which is 'man-winding', from which men keep coming and going out. How many winders were working? Were the operators there at that time or not? My

information is, as you have yourself admitted in your statement, on that fateful day in the afternoon, water was going inside the mine. There was enough time to take out all the workers who went in for the second shift. Who was the responsible officer at that point of time in the mine to take care of this aspect? While there was such a heavy rain, why miners were allowed to go inside the mine for the second shift. My further information is that there was seepage of water in that dam and the Surveyor of that area reported this fact to the management about a week or 10 days before, but why no action was taken by the management.

My information is that there was no winding engine khalasi at that point of time and as such when the rescue bell was rung only one fitter was there and he operated the engine resulting in the fastening of the cage in the top of the headgear and, therefore, the winding engine which could have rescued these peopole became inoperative.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Agarwallaji, it is better you seek clarifications. You put questions.

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: These are the clarifications which I am seeking. I am very hopeful that some improvement will be there as the hon. Minister has taken charge of this Ministry. I want to inform you that the work-culture in the nationalised coal sector has deteriorated to the extent that the entire focus is limited to earning money by the officials. They do not bother about safety, quality, and production. I hope that within this short period things will improve. So, these are the clarifications I would like to seek from the hon. Minister.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Hon. Minister, I don't accuse you because you have taken charge very recently. The only thing that I wish to caution you about is you are probably sitting in a volcano. A mess has been created in the coal-mining industry. Serious accidents, not small accidents, are taking place one after another. I want to seek an assurance from you that no more accidents will take place in future and you will learn lessons from the past.

In the year 1989, Mahavir Colliery accident took place. In the same way that mine had been flooded and people died. A court of inquiry had been instituted, but the report of that court of inquiry was never given to us. The other day I was going through the report of the Standing Committee on Coal. There also they had demanded that report, but that report was not given. I know that the court of inquiry accused a few officials, but the Coal Minister, instead of demoting them or taking away the charge from them, promoted them. The Director-General of Mines had constituted a committee for prosecuting these officers, but the Coal Ministry and Coal India promoted them. This is the situation.

The New Kenda Colliery accident took place in January, 1994 in which more than 64 workers died. Where is the report? If some hon. Members raise questions here, you will say that a court of inquiry has been appointed and you cannot reply to their questions. I want to know whether Coal India has learnt lessons from the previous mine accidents or not. Have they conducted an inquiry or not? In this case, you should inquire from them. There has been a breach in the dam. The dam was constructed with substandard material and money had been eaten away. We were informed that although there was a breach, it did not come to the notice of the officials. The Government is there, the Ministry is there, the Coal India is there....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Jibon Roy, are you seeking clarifications or are you further clarifying the position to the Minister?

SHRI JIBON ROY: Sir, Secondly, is it also a fact that there was no system of communication from underground to surface? Is it a fact that there were some arrangements in mines like cavities or holes? In the Mahavir Coal-mine where the accident took place people took shelter in the cavity for many days and because there was a communication link from underground to surface people could be located and finally by putting a hole they could be brought out. Here there was no such system. Even if people were there for three, four or five days it

was impossible to locate them from the surface. I request you to identify the number of collieries where the communication system between underground and surface is not there.

Thirdly, you have not mentioned in your statement whether dewatering is completed or not. According to my information, around 1.5 billion gallons of water entered. Now how much water is there? probably, more than a billion gallons of water. Here comes the fact that you are having mines and not having compressors and other equipments. Recently the Mahavir Colliery incident took place. You have also got the past experience. Now you are bringing compressors and other equipments from outside India. How much time, how many months, will you take to dewater that mine? Till today the bodies could not be extracted. Now the bodies will not be in a shape to be recognised. A number of courts of enquiry have mentioned that Coal India should have rescue teams with specialised equipments but it has not been heeded by Coal India. It seems the matter of the safety of the mines and people is left to God. Such incidents are taking place in Raniganj area. It is reported in a court of enquiry that it is because of unscientific mining. I wish to know whether the Ministry, the Government would draw some lesson out of it or not.

Lastly, I wish to humbly submit before you that the accident took place on September 26. Of course, you have made a visit there. But you have not called a meeting of the Central Trade Unions, which are looking after the coal industry, to discuss the entire thing. It is not a small thing. It is a serious accident. It has taken the life of 77 people. Such incidents are taking place one after another in succession. Your predecessor has created mess all over. Your Ministry, at least at your level, should have taken note of the developments and called labour representatives and discussed with them the question of working of the mines, rescue teams and other things. These are the submissions which I wanted to make. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Mool Chand Meena—absent. Smt. Kamla Sinha—absent. *(Interruptions)* Names are there. Normally we allow one Member from each party. Many Members are absent.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You will restrict yourself to seeking clarifications. Only pointed questions, please.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, before I start, first thing, I must say is that I agree with what my colleague, Shri Jibon Roy, has said. The hon. Minister has taken over recently and I have been getting certain responses from him on things which are pending from his predecessor. He has been replying to me quite regularly. That is why I want to ask him one thing. This is regarding the balance-sheet of accidents. He has taken over the balance-sheet in financial terms. The balance-sheet of accidents that he has taken over from his predecessor is that there were 968 accidents from 1992 to 1995. It comes to about one casualty per day. I am surprised by the statement of the hon. Minister. The first slogan for safety is that accidents do not occur, but accidents are caused. I would like to know from the Minister the chronological sequence of events. Words are being used that 'mine got flooded in a very short time.' What is this 'short time'? I would like the Minister to give chronological sequence of events. I do not know who prepared this report which says that 'senior officials reached the site as fast as possible depending on the distances involved and all help was made available.' This is only a poetic language. This is not a language used in terms of the First Information Report. When did the First Information Report reach the management of the BCCL? What was the time; whether it was 9.00 P.M. on the 26th 10.00 P.M. or 11.00 P.M.? I would like the Minister to give us the chronological order of events. I am not going into details, but in any such hazardous activity wherever it is involved, there is something known as disaster

plan. I would like to know whether the BCCL has any disaster plan. Because you do not have any disaster plan and when the mine was flooded, you were looking for help from elsewhere.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): 'Disaster plan' or 'disaster control plan'?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: It is known as disaster plan. It is not when any disaster has already occurred. It is *not a disaster control plan*. I would clarify if you give me some time. In this disaster plan, you can contemplate or predict a hazard and then you make preparations. If this plan had been there, they could have estimated that so much of water would be there and so much has to be dewatered. It is not as if when an accident takes place, you go out for searching help. This is known as disaster plan. Do you have any disaster plan for this mine? If you do not have any such comprehensive plan, then who is responsible for this? It should not be like a railway accident and the switchman is penalised. I had written a letter to the Minister, not for any subjective treatment, but, for the safety of mines. I have written a letter to the Minister—not for any subjective treatment—that the Chairman, Bharat Coking Coal had offered *puja*. It is an official note that I have sent. Through official measures, he offered *puja* for the safety of this colliery. Safety is not ensured by offering *puja*. My humble submission is that safety can be ensured by planning and not by *puja*. The third point is about the established procedure of safety. I would like to know whether there is any established procedure of safety or whether there is any safety plan for this particular colliery. When did these people reach the site? The Minister reached there within 48 hours. When did these responsible people reach the site? The hon. Minister must find this out. The top managment of the BCCL is making it sick. I would also like the Minister to find out whether the management and the workers are getting totally demoralised because the BCCL is being referred to the BIFR. Finally, are you going to have any funds when you refer to BIFR for the safety of this colliery after this perticular accident? Thank you, Sir.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्षजी, सड़क के ऊपर यह लिखा रहता है "सावधानी हटी, दुर्घटना घटी"। मैं मंत्री जी आपसे यह कहना चाहता हूं...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मंत्री जी सड़क से कोल माइन में आ गए हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: .... कि यह खदान का काम ऐसा काम है जिसमें दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है और भूतकाल में कई दुर्घटनाएं घटी हैं। बहुत से लोग मारे गए हैं। मैं आपसे पहले तो यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी सावधानियां खदान के अंदर और खदान के बाहर इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपने सूचीबद्ध की है और इनमें से कौन सी सावधानियां हटी जिनकी वजह से यह दुर्घटना घटी, नम्बर एक मंत्री और नम्बर दो, यह खदान नदी के किनारे स्थित है और तीन तरफ उसके बांध बंधा हुआ है। एक तरफ खाली है।

6 P.M.

आप जानते है कि मकानों की मरम्मत, नालियों की खुदाई, नहरों की खुदाई बरसात आने से पहले होती है और दीवारें भी ऊंची कर ली जाती हैं अगर यह बाढ़ आने की संभावना हो तो और जैसा कि बताया गया मौसम के बारे में रोज़ाना समय-समय पर जानकारी आती रहती है कि भारी वर्षा होने वाली है तो इस बात को मद्देनज़र रख करके उस बंध को ऊंचा किया गया और नहीं किया तो क्यों? यह दुर्घटना बच सकती थी, क्यों नहीं ऊंचा किया गया?

तीसरा, खदान के पास या खदान से दूर कोई आपका मानिटरिंग आफिस भी क्या है? जो लोग ऐसे है जो मानिटरिंग सिस्टम को कि खदान के अंदर बाढ़ या दुर्घटना घट रही है इसको कम्युनिकेट करे, क्या कोई ऐसा सिस्टम है? यदि है, तो उसने क्यों नहीं खदान के मज़दूरों को जाकर बताया कि भारी वर्षा है, नदी में पानी बढ़ रहा है, नदी का पानी खदान में घुस सकता है, आप बाहर निकल आओ? या जैसा मेरे लायक दोस्त ने पहले भी किसी ने पूछा कि दूसरी पारी को क्यों नहीं रोका गया? इसलिए इस प्रकार मंत्री जी यह आकस्मिक दुर्घटना नहीं है। यह जानबूझ कर असावधानियां बरतने के बाद दुर्घटना हुई है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आगे के लिए मंत्री जी पिछली गलती

से सबक लेंगे। यह जरूरी नहीं है कि बाढ़ आएगी और नदी में दोबारा पानी आएगा फिर बांध को ऊंचा करेंगे। अब कुछ पता नहीं है, बगैर मौसम भी बरसात हो जाती है। बाढ़ पता नहीं कब आ जाए।

इसलिए अब इस दुर्घटना के बाद आपने क्या डाइरेक्शंस इश्यू की हैं, ऐसे इन तमाम खदानों में काम करने वाले और सुपरवाइज़ करने वाले लोगों के लिए कि इमीडिएटली यह-यह जो सावधानियां हैं यह बरती जानी चाहिए? कृपया यह बताने का आप कष्ट करें?

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): In the Statement given by the hon. Minister, it has been stated that a court of enquiry has been appointed. Therefore, I am limiting myself to certain specific questions. It is stated in the Statement that on the basis of a preliminary enquiry by the internal safety organisation, conducted immediately after the accident, four officials and four workmen of Gaslitand Colliery have been placed under suspension. Will the Minister kindly tell me whether the senior officer in charge of the mines has been placed under suspension? Please give the list of those who are suspended. I am saying this on the basis of the Press Report; I may be correct or I may be wrong. Even though floods were rising and danger signals were rising, no senior officer of the plant visited the place and did anything. I am saying this according to *The Hindu* report. I do not know whether it is correct or not. However, in the list of those suspended, is there any such officer? That is my first question. The second question is a little more serious. It is about safety measures in the mines. We are having steam engines for winding up. When exigencies come, steam engines get to work. The people gave, according to the report, 25 alarm signals within a period of two to three hours. But no response was there. Sir, I am sorry to tell you that in these modern days we are still working with the steam engine. Can't we have an electric motor which can be switched off?

That too automatic. When water comes up, automatically, it can be operated, without anybody touching anything. When water comes up, immediately, the motor would work and the people can be taken out; they can be saved from the danger.

The important question is, apart from the Inquiry, would you take steps to provide modern facilities? You are just having the alarm bell! Your office is one mile away, two miles away, or, five miles away. Why can't you have some kind of a system where it can be automatically operated? We are having the wireless system. We are having walkie-talkie. we are having so many other communication facilities. But here it is still the alarm bell! What is it that you have in your mind?

The CIL is a big organisation. We are proud of it. We are not saying that the CIL is bad, or, the Ministry is bad. That is not the point here. But the point is, the status of our organisation should be such that it has the proper machinery for safety. Imagine the plight of the poor worker; thousands of feet below the earth—3,000 feet, 6,000 feet, below the earth—he is working. When water comes up and when no help is there, he dies. But the attitude is 'let him die'. The only thing which will happen is that some people will be made the scapegoat; some fools will be punished, and the real culprits will escape. This is the total concept, the total theory, of a Court of Inquiry. I do not want to say anything. I wish the best for this Court of Inquiry.

The point, Mr. Minister, is, the safety question should be taken up by you. Whatever comes out of the Inquiry, modern safety arrangements have to be made in these mines so that the poor workers are treated as human beings by the bosses heading these public sector organisation. When there is a continuous rain, to cope with that, there are three barrages, bunds. The maintenance of these bunds has not been properly taken care of. This is the criticism made in the Press.

I would like to know from the hon. Minister as to what did the Senior Manager and his assistant do. When this kind of a situation was developing, when

the waters were rising, they should have visited the site and seen as to what should be done. Did they visit? What did they do? This is one thing. Secondly, among the people against whom action has been taken, is there any senior officer? Thirdly, as I said, whatever is the outcome of the Inquiry, you should take steps to see that a proper mechanism for safety, which can be automatically operated, is in place.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गजली टांड खदान के जलमग्न होने के बारे में मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है, मैं समझती हूं कि इस बयान में ही इस दुर्घटना के तमाम कारण मौजूद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह बयान जितना गैर-जिम्मेवाराना और लापरवाही से भरा हुआ है, बी०सी०सी०एल० के अधिकारियों की वही लापरवाही और गैर-जिम्मेदारीपूर्ण रवैया मैं कहूंगी कि इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे दुर्घटना की संज्ञा नहीं देना चाहती। मैं समझती हूं कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित ढंग से किया गया एक अपराध है जिस में कि 77 मजदूरों की जान ले ली गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कुछ सवालात करना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल यह है कि जब बांध तोड़कर पानी खदान में घुसने लगा, उस समय बांध पर तैनात चौकीदार वहां क्यों नहीं था? मेरा दूसरा सवाल यह है कि रात के 10 बजे से ढाई बजे तक लगातार साढ़े 4 घंटे तक मजदूर अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहे, लगातार घंटी बजाते रहे, मगर उस घंटी को सुनने के लिए वहां कोई भी अधिकारी मौजूद क्यों नहीं था? मेरा तीसरा सवाल यह है कि बचाव की पुकार सुनने के बाद लिफ्ट को शुरू करने का कोई भी प्रयास क्यों नहीं किया गया? मेरा चौथा सवाल यह है कि खान में जब नदी का पानी घुसने लगा तो उस पानी को रोकने में कि वह पानी न घुसने पाए 72 घंटे का समय क्यों लगा जबकि यह काम 24 घंटे में ही किया जा सकता था? मेरा पांचवां सवाल है कि खदान में लगभग तीन सौ फुट पानी भर गया था और पानी की निकासी का काम जिस रफ्तार से चल रहा था, उस के अनुसार प्रतिदिन सिर्फ तीन फुट पानी ही खदान से निकाला जा रहा था.... तो इस हिसाब से इस पानी को निकालने में 100 दिन का समय लगता। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि फिलहाल परिस्थिति क्या है? हमने खदान दुर्घटनाओं के इतिहास में यह भी देखा है कि ऐसा भी हुआ है जब 19 दिनों के बाद भी मजदूर जिंदा निकलकर आ गए हैं एयर पाकेट के कारण और जहां तक इस गैसलीटांड खान का सवाल है, उसमें कई एयर पाकेट थीं। तो मजदूरों के जिन्दा रहने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा थीं लेकिन उन तमाम संभावनाओं को अधिकारियों की लापरवाही के चलते अंजाम नहीं दिया जा सका और मजदूर मारे गए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा छठा सवाल है कि मजदूरों की इस पाली में कोई भी इंजीनियर, मैनेजर या अधिकारी क्यों नहीं था? इसके क्या कारण हैं?

मेरा सातवां सवाल है कि क्या यह सच है कि एक लम्बे अरसे से इस खान के प्राइवेटाइजेशन का अभियान चल रहा था? उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे पास में बिहार कोयलरी कामगार यूनियन द्वारा राष्ट्रपति तथा कोयला मंत्री को दिया गया ज्ञापन है। इस ज्ञापन में जो कहा गया है, मैं मंत्री महोदय का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करवाना चाहूंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप सवाल पूछ लें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सवाल ही है। ज्ञापन में कहा गया है कि:—

> "कुछ दिनों से बी०सी०सी०एल० के उच्चाधिकारियों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा था कि यह संस्था या तो बंद होगी अथवा इसका निजीकरण किया जाएगा। इससे निराशा का वातावरण पैदा हो गया और जिसने उत्पादन से सुरक्षा तक, हर खेमे में, ढिलाई को ला दिया। फिर धारा 28 द्वारा, जिसमें बिना जांच के किसी भी मजदूर को बर्खास्त किया जा सकता है, कोयलरी में इस प्रकार का आतंक पैदा किया गया कि मजदूर विवश होकर अधिकारियों की लापरवाही का शिकार बन गया। अपनी सुरक्षा के लिए मजदूर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में हिचका, जबकि निरंकुश अधिकारी वर्ग लापरवाह रहा। गैसलीटांड, बैरा आदि घटनाओं के लिए इस प्रकार का वातावरण भी जिम्मेदार है।"

इस संबंध में जब कामगार यूनियन का यह कहना है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि उनकी क्या राय है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम सवाल यह है कि खदानों के मामले में हमारी यह एक परम्परा थी कि जब मजदूर काम पर जाते थे तो मजदूरों के साथ सुपरिटेंडेंट या इंजीनियर हाफ पेंट पहनकर खदान में उनके साथ काम करते थे और यह परम्परा अब लगातार खत्म होती

जा रही है, खत्म हो गई है। मैं यह जानना चाहूंगी कि आखिर मजदूर तो खदान के नीचे काम करेंगे और हमारे अधिकारीगण क्या आराम से एयरकंडीशंड कमरों में सोएंगे? क्या यह परम्परा हम शुरू करेंगे और इसके चलते मजदूरों की जिंदगी पर हमेशा खतरे की तलवार मंडराती रहेगी? मेरा मंत्री महोदय से यह कहना है कि क्या आप इस बात की गारंटी करेंगे कि जब मजदूर नीचे जाएगा, जब मजदूर खदान में नीचे काम करेगा, उस समय मजदूर के साथ-साथ अधिकारी भी होंगे? क्योंकि, उपसभाध्यक्ष महोदय, जब यह दुर्घटना घटी तो उसके बाद तमाम मजदूरों के परिवार वाले, उनकी बीवियां जो रो रही थीं, उन तमाम लोगों का यह कहना था कि अगर इस दुर्घटना में एक भी अधिकारी मारा गया होता तो आज जो लापरवाही बरती जा रही है, वैसी लापरवाही नहीं बरती जाती और तमाम बचाव कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाते। तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि जो स्वस्थ परम्परा रही है, उस स्वस्थ परम्परा को खत्म मत करिए, मजदूरों के साथ अधिकारियों को भी नीचे भेजिए और इस बात की गारंटी करिए, तभी खदानों में जो यह असुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ है, अधिकारियों में जो गैर-जिम्मेदाराना रूझान बढ़ा है, उस रूझान को रोका जा सकेगा।

इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपसे चाहूंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): श्री राम रतन राम। सब प्रश्न हो गए है, कोई बाकी है तो उसको आप कर लीजिए।

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश): मेरे को क्यों टोक रहे हैं? आपने 11 आदमियों में से किसी को यह नहीं कहा कि आप कम बोलिए, मैं बोलने के लिए उठा नहीं और आपने कम की आवाज़ लगा दी।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): जितनी देर हो रही है, उतने ज्यादा प्रश्न हो रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं।

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अधिकारियों को बचाने के लिए, मैनेजमेंट को बचाने के लिए बड़े ही हास्यास्पद ढंग से इसमें लिखा है! किसी भी जिले में, हर जिले में बाढ़ से बचाव के लिए फ्लड प्लान की तैयारी होती है और इस खदान के बारे में इन्होंने क्या सेफ्टी प्लान किए और बचाव के लिए क्या-क्या इतजाम किए, इन सब बातों की इन्होंने इसमें चर्चा नहीं की है। इन्होंने यह लिखा है कि 300 मि०मी० वर्षा हुई अनप्रिसडेंटिड, यह बात ठीक है, इसलिए बाढ़ भी आई।

कटरी नदी में तीन तरफ से तटबंध बंधे हुए थे। तटबंध की रक्षा के लिए किसी प्रकार का काम किया गया उसको ऊंचा करने के लिए, उसके बचाव के लिए, इसके बारे में किसी प्रकार का जिक्र नहीं है। आपने लिखा है कि हाई हैड सबमर्सिबिल पम्पस कोल इंडिया के पास नहीं थे इसलिए खदान से पानी का बचाव नहीं किया जा सका। कितने एक्सीडेंट हो चुंके थे पिछली दफे? कोल इंडिया एरोप्लेन तो रख सकती है अपने आने-जाने के लिए लेकिन खदान के श्रमिकों के बचाव के लिए हाई हैड सबमर्सिबिल पम्प नहीं रख पाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोल इंडिया का मेनेजमेंट श्रमिकों की रक्षा के प्रति कितना लापरवाह है। मंत्री जी के बयान के संबंध में मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। जिस समय घनघोर वृष्टि हो रही थी तब मेनेजमेंट ने कोई प्रबंध क्यों नहीं किया जबकि हमारे कर्मचारी डूब रहे थे? क्या सारा मेनेजमेंट सोया हुआ था? जब घनघोर वृष्टि हो रही थी तो खदान का काम बंद क्यों नहीं किया गया जिससे कर्मचारियों की रक्षा की जा सकती थी? जब कटरी नदी बढ़ रही थी तो उधर बांधों को ठीक करने के लिए कोई प्रबंध क्यों नहीं किया गया? खानों में पानी घुसने के तुरन्त बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब मंत्री जी ने 28-9-95 को घटनास्थल का निरीक्षण किया तब कार्रवाई शुरू हुई। लोगों को शिकायत रही कि प्रबंधकों ने खानों का पानी निकालने में उपेक्षा की और यह भी आरोप लगाया कि जितने अधिकारी थे सब इस डर से भागे हुए थे कि कहीं वे अरेस्ट न हो जाएं।

अनुग्रह धनराशि भी बहुत कम है। इसके 75 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख किया जाए। यह मंत्री जी ने अभी एनाउंस की है। मंत्री जी के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि चार आफिशियल और चार वर्कर्स निलम्बित किए गए हैं। इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि यह आफिशियल किस कैडर के थे। क्या इसमें मेनेजमेंट का कोई अधिकारी भी सम्मिलित था जिसको लापरवाही के लिए सस्पेंड किया गया है? मंत्री जी ने यह भी कहा कि न्यायायिक जांच हो रही है तथा रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुझे आशा है कि इसमें वह शीघ्र कार्रवाई करेंगे चाहे कोई भी अधिकारी क्यों न हो। माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि खान से कब तक पानी निकाला जाएगा? आखिरी बात, क्या सेफ्टी ऑडिट कराया गया है या नहीं? अगर नहीं कराया गया तो क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि सेफ्टी आडिट हर साल कराया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): Sir, first of all, it is a great tragedy.

बहुत बड़ा नुकसान जान और माल का हुआ तथा इंसान की जिंदगी गई है और मेरे मंत्री बनते ही इतनी बड़ी ट्रेजडी हुई। मैं बाहर गया हुआ था। मैं तो एयरपोर्ट से ही सीधा वहां पहुंचा, आफिसर्स वहां थे। मगर जो हमने अपनी आंखों से देखा, मेंबर्स आफ पार्लियामेंट जिन्होंने इसमें भाग लिया और सवाल उठाए, अगर आप भी देखते तो मैं समझाता हूं कि दुनियां में कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी जो उस पानी को रोक सकती। पानी नहीं जा रहा था, एक बहुत बड़ी नदी अंदर जा रही थी। अगर मैं यहां पर पांच हजार पम्प भी लगा लेता तब भी मैं उस पानी के सौवें हिस्से को भी नहीं रोक सकता था। बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई है। कई चीजें हैं। मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं उसका जवाब दूं, क्योंकि कोर्ट आफ इंक्वायरी है। इंक्वायरी में बहुत बातें आएंगी। हमने एक बात कही थी चाहे कितना बड़ा आफिसर हो, शायद आप नहीं जानते कि कभी किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। मजदूर के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा। कुछ मेंबर्स आफ पार्लियामेंट ने जो बातें उठाई हैं जैसा आपने भी कहा कि स्टीम नहीं थी जब लोग नीचे से कोशिश कर रहे थे, तो यह बात मुझे भी सुनने को आई। मगर इसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट आफ इंक्वायरी में यह सब बातें आएंगी। हालांकि मैंने उस वक्त यह स्टेटमेंट भी दिया कि इतनी बड़ी ट्रेजडी को, मैं यह नहीं कहता कि रोक सकते थे लेकिन कुछ आदमियों की जानें बच सकती थी।

हो सकता है कि ज्यादा भी बच सकते थे। जो हमारे सुनने में आया है, जो वहां के लोगों ने और आफिसर्स ने हमारे साथ बातचीत की है उसमें यह बात सामने आई कि पम्प नहीं मिल रहे थे, थे नहीं। आपको मालूम होगा कि 17 हजार मिलियन गैलन वाटर किस तरह से निकल सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा पता नहीं कितना बिलियन गैलन पानी नीचे गया होगा। मैं नहीं सोचता कि कोई भी इंसान, चाहे उसके पास कितनी बड़ी मशीनरी हो, उस पानी को उस वक्त रोक सकता था। पूरी नदी ने अपना रुख बदल दिया था। वह नदी की एक धार नहीं थी, पानी की धारा नहीं थी, पानी ऐसे आया जैसे पूरी नदी आई हो। एकदम टूटा और टूटने के बाद वह सीधे चला गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे एक्सपीरियेंस नहीं है लेकिन जो ओपन माइन थी, जो बंद हो गई थी, कानून के हिसाब से जो मैंने सुना है उसको भरना चाहिए था, वह भरा नही गया था। वह खाली पड़ा था और साथ में अंडर ग्राउंड, केब इन हुआ और सारा नदी का पानी उसके अंदर चला गया।...(व्यवधान)...पूरी बात करने दीजिए।

पूरी इन्क्वायरी में ये सारी बातें आयेंगी। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं, हमने उसी वक्त आर्डर कर दिया है—अब पुरानी कोर्ट आफ इन्क्वायरी भी देखेंगे। जो रिपोर्ट है वह मंगा दी है और वह रिपोर्ट अगर है तो हम हाउस के अंदर लायेंगे और उसके हर सजेशन का हम पालन करेंगे। इंसान की जिंदगी कोयले से या पैसे से ज्यादा है।

दूसरी बात यह है कि हमने बातें की जो वहां थे, जो वहां की यूनियन के लीडर्स थे, अलग अलग लोगों से देर तक बात की और उसके बाद चेयरमैन को बुलाकर यह कहा कि जो सेफ्टी नार्म्स आपने इनबिल्ट बना रहे हैं, आप सब आफिसर्स से, यूनियन्स से मिलकर उसको करें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माइन्स के ऊपर माडर्न एक्विपमेंट नहीं है, मेंटिनेंस नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे बड़ा दुख लगा। इसके लिए पैसा चाहिए। कम से कम 12 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है अगर मैं माइन्स को ठीक करूं। लेकिन इतना गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। इसके लिए थोड़े दिन पूर्व मैंने एक डिसीजन लिया है। एक्विपमेंट लीजिंग का। हमने ज्वांइट वेंचर और ब्रेकेटिंग की बात की है। इसमें किसी मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी यह मेरे वर्डस हैं। इस हाउस में इस ट्रेजडी पर कोई सोचे कि शायद जगदीश टाइटलर ऐसा काम करना चाहता है जिसमें किसी की नौकरी जाए तो मेरा यह कहना है कि मैं एक भी नौकरी नहीं जाने दूंगा। यह मेरा पुराना रिकार्ड भी है।

I am also, like all the Members, a pro-labour man. I will never like a single job to be lost. But I cannot sit and watch people dying. I need money and I cannot have money, because the Government does not have that amount of mony. And even when it is going sick, as you mentioned, I cannot stop this under this Act. I have to refer it. That is why.

आपने सुना होगा। मैंने तो स्टील मिनिस्ट्री को भी कह दिया है कि आप मुझे दीजिए क्योंकि मैं अपनी माइन्स की उस कंपनी को बी०आई०एफ०आर० में नहीं डालना चाहता, इसके लिए मुझे पैसा मिलना चाहिए। जो मार्केट में रेट है उस पर कंसेशन पर कोयला दिया जाय यह

हमारी आपसी बात है। मगर मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी उस कंपनी को सिक कंपनी से निकाल लूं। हमने कुछ ऐक्शन लिया है जिससे स्वत: माडर्नाइजेशन भी होगा और सेफ्टी नामर्स भी होंगे। आज के दिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां टोटल 50 पम्प लगे हुए हैं जिनमें से 13 को हमने बाहर से मंगाया है और आज के दिन 36 मिलियन पर डे पानी हम बाहर निकाल रहे हैं। 3 दिसम्बर तक, लास्ट रिपोर्ट है कि माइंस के अंदर लेवल आफ वाटर 91.95 मीटर रह गया है। क्योंकि पता नही है कि वहां कितना पानी है, वहां कितना पानी पहुंचा हुआ है, कितनी गहराइयों में पानी गया हुआ है...जान के बचने की कोई आशा नहीं रखता। बहुत बड़ा मिरेकल होगा, कोई बच जाएगा। मैं चाहता हूं कि ईश्वर करे कोई बच ही जाए। मगर मुझे ऐसा कोई नार्म नहीं लगता। मैं आपको यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम सेफ्टी नामर्स बहुत स्ट्रिक्टली एडीहर करेंगे। इसके लिए मेरी मिनिस्ट्री के आफिसर्ज, चेयरमैन ने हम लोगों को वापिस रिपोर्ट देना शुरू कर दिया है। मगर एक चीज यहां पर यह है कि इन कंपनियों में प्रिवेंटिव स्टेप्स इन विल्ट है, सेफ्टी आडिट भी है। आपका एक सुझाव बहुत अच्छा लगा कि किसी टाइम पर आफिसर्ज भी नीचे जाते थे। मुझे नहीं मालूम कि आज क्या है, कोई आफिसर जाता है या नहीं। मगर मैं कोशिश जरूर करुंगा कि अगर किसी टेक्नीकल कारण से इन चीजों को खत्म किया गया है तो यह बहुत जरूरी है कि अगर मजदूर नीचे जा सकता है तो वह अफिसर जो उनकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं, उसका जाना भी बहुत जरूरी है। अपनी जान बचाने के लिए यह मजदूरों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर प्रक्टीकली पोसिबल है तो हम आपका जो सुझाव है, जो किसी टाइम पर हुआ करता था, हम जरूर फिर उसको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी कई चीजें हैं जैसे कौन जिम्मेदार है, कौन था वहां पर, कौन नहीं था, किस आफिसर की क्या गलती है, इसके लिए कोर्ट आफ इन्कवायरी बैठी हुई है। हम कोशिश करेंगे और हमने जज साहब को भी कहा है कि इसको लम्बा मत खींचिये, जितनी जल्दी हो सके, रिपोर्ट दे दीजिये। जिन आफिसर्ज चाहे चेयरमैन ही क्यों न हो अगर उसको निकालना पड़े, सस्पेंड करना पड़े, केसेज़ रजिस्टर करने हैं, हम किसी को भी नहीं बखशेंगे क्योंकि इतने आदमियों की जाने कोई छोटी बात नहीं है। धन्यवाद।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष महोदया...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): इतने प्रश्न हो चुके हैं। **(व्यवधान)**

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मजदूरों की जिन्दगी का सवाल है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): जिन्दगी का सवाल तो वह भी कह रहे हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: बाकी रह गया है न।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): क्या बाकी रह गया है?

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं जानना चाहती हूं कि आखिर क्या कारण हैं। आप मुझे अनुमति दीजिये, तभी मैं बताऊंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम, पूछिये।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हू कि मंत्री जी इस बात से अवगत होंगे कि कटरी नदी पर जो बांध बना हुआ है वहां पर हमेशा एक पहरेदार रहता है, चौकीदार रहता है इस बात की निगरानी करने के लिए कहीं बांध में कोई दरार तो नहीं आ गई है। हमेशा से यह प्रेक्टिस रही है कि जब भी बारिश होती है तो मजदूरों को ऊपर बुला लिया जाता है। अखबारों में यह तथ्य आया है कि अगल-बगल की जो खदानें थी, उनमें से 28 मजदूर रात के दस बजे के करीब आ गये। आप यह कहे रहे हैं कि बाढ़ की तरह नदी का पानी जा रहा था, मजदूर निकल कर आए, मैं यह जाना चाहती हूं कि गजलीटांड के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमारे अधिकारियों को जब इतना समय मिला तो क्यों नहीं मजदूरों को निकाल दिया गया?

SHRI JAGDISH TYTLER: I will leave it to the Court of Inquiry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-eight minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday the 6th December, 1995.

———